न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रा. पत्र संख्या : 01/138

तारीख दायर : 11/07/2017

उनवान

1. हिम्मतसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत
2. नरेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। —प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भू-स्वामी थानागाजी अलवर राजस्थान।

—अप्रार्थी।

॥प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति :-

1. श्री रामकरण चौपडा एडवोकेट प्रार्थीगण
2. कोई उप0 नही अप्रार्थी

न्यायालय द्वारा :-

निर्णय दिनांक: 18.05.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.12 हैक्टर स्थित वली आती है। जो आराजी प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त हाल खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.12 हैक्टर जिसका साबिक खसरा नम्बर 1194/1 रकबा 10 बिस्वा से बना है। जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 से प्रमाणित है।

उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण काबिज व दखील है और काबिज काश्तकार खातेदार चले आते है। आज भी मौके पर प्रार्थीगण का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। उपरोक्त आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा लठठा में प्रार्थीगण की आराजी का सही इन्द्राज दर्ज चला आता है। और नक्शा तितम्बा के आधार पर ही प्रार्थीगण मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। लेकिन उपरोक्त आराजी के नक्शा लठठा में हाल बन्दोबस्त सम्वत 2060 में नया नक्शा में तितल्बा काटते समय बन्दोबस्त कर्मचारियो ने लापरवाही से बिना मौका देखे प्रार्थीगण की आराजी रकबा कम करते हुए तरफ पश्चिम लाईन को सीधी लाइन के बजाय पूर्व की ओर दबाकर लाइन खैंचदी, एवं तरफ दक्षिण लाइन को सीधी लाइन के बजाय उत्तर की ओर दबाकर लाइन खैचदी। और हाल नक्शा के मुताबिक आराजी रकबा कम कर दिया। एवं हाल नक्शा तितम्बा में जो लाइन पश्चिम व दक्षिण में सीधी लाइन के बजाय दबाकर लाइन खैच कर अंकित किया हुआ है। वह इन्द्राज कतई गलत एवं खिलाफ कानून व मौका है और प्रार्थीगण के हकूको के मुकाबिले बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियो को प्रविष्टि बदलने का कोई हक व अधिकार नही है। जिसका अब रिकार्ड में दुरूस्ती कराना आवश्यक हुआ हैं जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाले व्यक्ति है। प्रार्थीगण इसी विश्वास में रहे कि विवादित आराजी के नक्शा तितम्बा में उनकी खातेदारी आराजी नक्शा तितम्बा सम्वत 2028 के समान ही दर्ज होगा। लेकिन दिनांक 13/06/2017 को जब प्रार्थीगण अपने खाते की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का के बताये जाने पर कि तुम्हारी आराजी साबिक नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

एवं हाल नक्शा में मिलान नही खाता है तब उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को हुई जिस पर प्रार्थीगण ने अपने हाल एवं साबिक रिकार्ड की नकुलात प्राप्त की। इसलिये हाल रिकार्ड नक्शा तितम्बा में दुरूस्ती उक्तानुसार करवाया जाना आवश्यक हुआ है। जिस हेतु भी यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण सीधे साधे व्यक्ति है। जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज चली आती है। हाल बन्दोबस्त कर्मचारियो ने लापरवाही से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी को हाल नक्शा में तरफ पश्चिम व दक्षिण लाइन को दबाते हुए आराजी रकबा कम करते हुए अंकित कर दिया। जबकि साबिक नक्शा में तरफ पश्चिम व दक्षिण की लाइन सीधी खेची हुई है। राजस्व कर्मचारियों को कोई भी प्रतिष्टि को बदलने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा तितम्बा में गलत इन्द्राज दर्ज रहने से भारी नापूर्ति नुकसान हो रहा है जिस गलत इन्द्राज को प्रार्थी कलमजन कराकर साबिक रिकार्ड नक्शा में अंकित पश्चिम व दक्षिण की लाइन को सीधी दर्ज कराकर दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। इसलिये विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा में साबिक रिकार्ड नक्शा के मुताबिक दर्ज करवाया जाना एवं दुरूस्ती करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रा0 पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित और नाही जवाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया उनके विरूद्ध इकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी के नक्शा लठठा में हाल बन्दोबस्त सम्वत 2060 के नया नक्शा में तितम्बा काटते समय बन्दोबस्त कर्मचारियों ने लापरवाही से बिना मौका देखे प्रार्थीगण की आराजी का रकबा कम करते हुए तरफ पश्चिम की लाईन को सीधी लाईन के बजाय पूर्व की ओर दबाकर लम्बा खेंचदी एवं तरफ दक्षिण लाईन को सीधी लाईन के बजाय उत्तर की ओर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned by CamScanner

दबाकर लाईन खैंचदी और हाल नक्शा के मुताबिक आराजी रकबा कम कर दिया गया जबकि भू. प्रबन्ध विभाग को प्रविष्टि बदलने का कोई हक व अधिकार नही है जिसकी अब दुरूस्ती कराना आवश्यक हुआ है। अतः नक्शा दुरूस्त करने व प्रा० पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा विवादित आ.ख.नं. 1255 रकबा 0.12 है0 वाकै आगर के हाल नक्शा तितम्बा को भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शा अनुसार नही काटा गया है। साबिक नक्शा में साबिक ख.नं. 1094 रकबा 1.06 बीघा का एक ही नम्बर था जिस के तीन ख.नं. 1194/1, 1194/2, 1194/3 बनाये गये। ख.नं. 1194/1 का तितम्बा हाल नक्शा लठठा सं. 2060 में मौका एवं साबिक नक्शा अनुसार नही काटा गया जिसको अब प्रार्थीगण दुरूस्त कराना चाहते हैं पत्रावली में उपलब्ध हाल व साबिक नक्शों में एक रूपता नही है। अतः साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त कराया जाना एवं प्रा. पत्र को स्वीकार करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः आदेश है कि प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। तथा हाल आ.ख.नं. 1255 रकबा 0.12 है0 वाकै आगर का तितम्बा साबिक ख.नं. 1194/1 रकबा 10 बिस्वा का नक्शा सम्वत 2028 के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार दुरूस्ती हेतु निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार थानागाजी को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प आगर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

कैलाश उपखण्ड अधिकारी द्वितीय(आर.ए.एस.)
थानागाजी (अलवर) उपखण्ड ...

Scanned by CamScanner